कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया

संख्या 1136(17)/न0पं0भ0बा0/2014–15 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

अल्पकालिक निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगरीय अवस्थापना विकास निधि में उपलब्ध धनराशि मु0–2610461.00 (छब्बीस लाख दस हजार चार सौ इकसठ मात्र) व शेष राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि से वर्ष 2014–15 में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय देवरिया को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय देवरिया के कार्यालय पत्र सं0 737(1–9) एल0वी0सी0–टी0ए0सी0–2014, दिनांक 11–09–2014 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, तथा लोक निर्माण विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है से मुहरबंद निविदाएं दिनांक 21–11–2014 को समय 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के टी0ए0सी0 पटल पर रखी गयी निविदा बाक्स में डाली जायेंगी व उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 20–11–2014 को 11:00 बजे से 03:00 बजे अपरान्ह तक नगर पंचायत भटनी बाजार कार्यालय व कलेक्ट्रेट देवरिया स्थित एल0वी0सी0/टी0ए0सी0 पटल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में 10% एन0एस0सी0, के0वी0पी0 एफ0डी0आर0 आदि जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भटनी बाजार के पदनाम बंधक हो मुल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा सम्बंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार से प्राप्त की जा सकती है। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

निर्माण कार्यों का विवरण :–

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मजनू पान भण्डार से सुभाष विद्यालय तक पिच सुधार एवं सड़क के दोनो तरफ नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य।	441200.00	44200.00	400.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह	
2	उमेश गुप्ता के मकान से महेन्द्र यादव के मकान होते हुए चईत राम चौरसिया के मकान तक पटरी इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1075500.00	108000.00	1000.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह	
3	संजय वर्नवाल के मकान से राधेश्याम के मकान होते हुए सरवन के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	286300.00	28700.00	300.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह	
4	रामनरायण भगत के मकान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक सड़क के दोनो तरफ नाली क्रासिंग व पिच सुधार कार्य।	900100.00	90000.00	900.00	कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 01 माह	

नियम एवं शर्तें :–

1– निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– निविदादाता को अपने निविदा के साथ 10% की दर से जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।

3– निविदा स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार 7 प्रतिशत जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबंध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

4– ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

5– ठेकेदार को निर्माण कार्य कार्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

6– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

7– निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/न0पं0 द्वारा दिए गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

8– जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर, जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी ।

9– निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।

10– किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

11– निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

12– किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

13– निविदा प्रपत्र पर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

14– निविदा स्वीकृति के पश्चात जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा लिखने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

15– भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।

16– निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा। लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता इत्यादि स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है।

17– अवर अभियंता द्वारा बनायी गयी बिल से कटौती आयकर वाणिज्यकर रायल्टी आदि धनराशि ठेकेदार को वापस नहीं की जायेगी, बल्कि नियमानुसार चालान सहित उक्त विभागों के खाते में जमा कर दी जायेगी।

18– अवस्थापना विकास निधि में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष अधिक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि से किया जायेगा।

(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।

(विजय कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।